विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या :01/संयुक्त विज्ञापन/परीक्षा/प्रोग्रामर–स.कारापाल/2013–14 **दिनांक : 02.05.2013**

प्रोग्रामर (PROGRAMMER) प्रतियोगी परीक्षा, 2013

1. राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के लिए प्रोग्रामर (Programmer) प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के लिये निर्धारित ऑनलाइन आवेदन–पत्र (On Line Application form) पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

विशेष नोट :– आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. रिक्त पदों का विवरण :–

पद एवं विभाग का नाम	पदों की संख्या
प्रोग्रामर, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग	173
विशेष नोटः– शासन से रिक्त पदों का वर्गीकरण प्राप्त होने पर शुद्धि–पत्र यथा समय जारी कर दिया जाएगा।	

नोटः–

(1) इस परीक्षा के सेवा नियम के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषणा से पूर्व पदों का श्रेणीवार आरक्षित रिक्त पदों की नवीनतम संख्या यथा–अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन/महिला/विधवा/परित्यक्ता महिला के आरक्षण की नवीनतम सूचना शासन से प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ शुद्धि पत्र जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।

(9) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।

3. शैक्षणिक योग्यता :

(1) B.E./B.Tech./M.Sc. in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications or M.C.A. from a recognized University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government.

OR

M.Tech. degree in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications from a recognized University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government.

OR

M.B.A. (IT) from a University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government.

(2) Working Knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

नोटः– परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठयक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिये आवेदन करने के लिये पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

स्पष्टीकरणः– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

4. आयु :–आवेदक 1 जनवरी, 2014 को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और अधिकतम 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :–

1. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :–

''यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।''

स्पष्टीकरण : आयोग द्वारा वर्ष 2012 में इन पदों को विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2013 को की गई थी । अतः इस अधिनियम के तहत उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

2. ऊपर उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में :–

(क) जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित हैं उन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

(ख) जिन पदों में अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग) की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हीं विषयों की सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट देय है परन्तु जिन विषयों में अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग) की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित नहीं है उन्हें आयु सीमा में इस छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट देय होगी और जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये पद आरक्षित नहीं है परन्तु इन वर्गों के सामान्य पद आरक्षित हैं तो उन विषयों हेतु उन वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को केवल 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(घ) जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद एवं महिला के पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।

क्रमशः.........

3. उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।
4. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
5. एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
6. रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
7. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
8. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापो के सम्बन्ध में सेवारत व्यक्तियों (Substantive) की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
9. जिन पदों में विधवाओं और परित्यक्ता (विछिन्न–विवाह) महिलाओं के पद आरक्षित हैं उन मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।

   <u>स्पष्टीकरण</u>–विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और परित्यक्ता (विछिन्न–विवाह) महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
10. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी :–
    1. अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
    2. पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
    3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

<u>नोट</u>:–उपरोक्त आयु के पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 10 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 2 से 10 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

5. **<u>वेतनमानः– रनिंग पे बेण्ड सं. –2 (9300–34800 रू.) ग्रेड पे सं. 13 (रू. 4200/–) मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार</u>।**

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा। प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। **पेंशनः**– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान राज्य के अजमेर व जयपुर जिलों में आयोजित कराई जाएगी। इन पदों की परीक्षा जुलाई माह 2013 के प्रारम्भ मे किये जाने की संभावना है।

7. **The Scheme & Syllabus for the competitive examination for the post of Programmer :-**

1. A candidate must appear in all the papers. The marks and time allowed for each Paper shall be as under:-

Name of Papers	Marks	Time
PAPER- I	100	2 Hours
PAPER- II	100	2 Hours

<u>Note</u> :– “ **<u>Minimum qualifying marks</u>** :- Candidates who obtain a minimum of 40% marks in the aggreagate for the writtien examination shall be considered to have obtained qualifying marks at the written examination, but the minimum qualifying marks in the written examination for the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, shall be 36%. The Commission/Appointing Authority may in their/its discretion award grace marks upto three in the aggregate.”

2. **<u>SYLLABUS</u> : SYLLABUS AND SCOPE OF PAPERS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF <u>PROGRAMMER</u> :-**

Written Examination

PAPER - I

Reasoning Test & Numerical Analysis & General Knowledge

Problem solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Reasoning. General Knowledge and Current Affairs relating to India and Rajasthan.

Data Base Management Systems

ER Diagram, data models- Relational and Object Oriented databases. Data Base Design: Conceptual data base design, Normalization Primitive and Composite data types, concept of physical and logical databases, data abstraction and data independence, data aggregation and Relational Algebra.

Application Development using SQL: Host Language interface, embedded SQL programming, Stored procedures and triggers and views, Constraints assertions.

Internal of RDBMS: Physical data organisation in sequential, indexed random and hashed files. Inverted and multilist structures, B trees, B+ trees, Query Optimisation, Join algorithm.

Transaction Processing, concurrency control and recovery management. Transaction model properties and state serialisability. Lock base protocols, two phase locking.

Data Communication and Computer Networks

Computer Network Architecture, Circuit switching, Packet And Massage Switching, Network Structure. Physical Layer, Data Link Layer, Framing. Retransmission algorithms.

Multiple access and Aloha. CSMA/CD and Ethernet. High Speed LANs and topologies. Broadcast routing and spanning trees.

TCP/IP Stack. IP Networks and Internet. DNS and Firewalls. Intrusion Detection and Prevention.

Transport layer and TCP/IP. Network Management And Interoperability.

PAPER - II

System Analysis and Design

System concept: Definition and characteristics, elements and boundaries, types of system development lifecycle, recognition of needs, feasibility study, prototyping, role of system analyst.

System planning and tools like DFD, data dictionary, decision trees, structured analysis and decision tables.

IPO charts, structured walkthrough, input output form design, requirement and classification of forms, layout considerations form control, object oriented Design Concepts and methods.

Software Life Cycle, Software Engineering paradigms.

System analysis: Feasibility study requirement analysis, Cost benefit analysis, Planning systems, Analysis tools and techniques.

System Design: design fundamentals, Modular Design, Data and procedural design, object oriented design.

System Development: Code documentation, Program design paradigms, Efficiency Consideration. Verification, Validation and Testing: testing methods, Formal Program Verification, Testing Strategies. Software Maintenance: Maintenance Characteristics, Maintainability, Maintenance tasks and side effects.

Programming Concepts

Introduction: Internet, Java as a tool for internet applications, Byte Code and its advantages.

Object Oriented Programming and Design: Review of Abstraction, Objects and other basics, Encapsulation, Information hiding, Method, Signature, Classes and Instances, Polymorphism, Inheritance, Exceptions and Exception Handling with reference to object modeling, Coupling and Cohesion in object oriented software. Object Oriented Design – Process, Exploration and Analysis.

Java Programming Basics: Variables and assignments, Input and Output, Data Types and Expressions, Flow of control, Local variables, Overloading Parameter passing, this pointer, Java Object Oriented Concepts: Use of file for I/O, Formatting output with stream functions, Character I/O, Inheritance, Public and private members, Constructors for initializations, Derived classes, Flow of Control Arrays-Programming with arrays, arrays of classes, arrays as function arguments, Strings, Multidimensional arrays, Arrays of strings, vectors, Base classes.

Introduction to JSP, RMI, Java Applets and servlets.

Introduction to DotNet framework and visual programming interface.

Note for general guidance for PROGRAMMER :

(i) The standard of the paper will be that of a degree examination of a University established by law in India. A brief outline of the scope of each paper is given in this Schedule for general guidance of candidates but is not intended to be exhaustive.

(ii) All papers unless specifically required, shall be answered either in English or in Hindi, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English unless specifically allowed to do so.

(iii) If a candidate's hand-writing is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

(iv) Questions of question paper of examination may be of multiple choice type or descriptive type or both types.

(v) Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all descriptive questions of the examination paper(s)."

सहायक कारापाल प्रतियोगी परीक्षा, 2013
(Assistant Jailor Competative Exam., 2013)

8. राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के अन्तर्गत सहायक कारापाल प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के लिए कारागार विभाग द्वारा सूचित पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन पत्र** (Online Application form) **आमंत्रित किए जाते हैं।**

विशेष नोट :– आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

9. **रिक्त पदों का विवरण** :–

पद एवं विभाग का नाम	पदों की संख्या
सहायक कारापाल, कारागार विभाग	42
विशेष नोटः– शासन से रिक्त पदों का वर्गीकरण प्राप्त होने पर शुद्धि–पत्र यथा समय जारी कर दिया जाएगा।	

नोटः–

(1) इस परीक्षा के सेवा नियम के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषणा से पूर्व पदों का श्रेणीवार आरक्षित रिक्त पदों की नवीनतम संख्या यथा–अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन/महिला/विधवा/परित्यक्ता महिला के आरक्षण की नवीनतम सूचना शासन से प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ शुद्धि पत्र जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।

(2) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।

10. **शैक्षणिक योग्यता :–**

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।

   परन्तु ऐसे आवेदक जो स्नातक उपाधि परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु उन्हे साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण देना होगा ।

   स्पष्टीकरण:– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं स्नातक उपाधि परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

11. **शारीरिक योग्यता :–** No Candidate for the post of Assistant Jailor, Who is less than 168 cms. in height and whose deflated chest measurement is less than 81 cms. and inflated chest measurement less than 86 cms. shall be deemed to be physically fit;

Provided that :-

(i) the height of Garhwali and Gurkha canddidates and persons coming from hill areas may not be less than 158 cms.;

(ii) the height and weight of women candidates may not be less than 152 cms. and 47.5 kg. respectively;

(iii) the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes whose height and chest are less than the prescribed measurement upto 5 cms. shall be deemed to be physically fit;

(iv) the candidate's sight will be tested on the following standards :

(a) For Assistant Jailors & Warders :

Vision	Without glasses		With glasses	
	Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
Distant	6/6	6/60	6/6	6/13
Near	J 5	J 5	J 1	J 1
(b) For others :				
Distant	6/9	6/18	6/9 **or** 6/9	6/6 6/12
Near	J 1	J 3	J 1	J 2

Note : For both categories (a) & (b) above

(i) Myopia should not exceed 5D.

(ii) Failure to distinguish primary colours and/or Night blindness if present, will be cause for rejection.

(iii) Manifest squint in any form will disqualify the candidate.

12. **आयु** :– आवेदक **दिनांक 1 जनवरी, 2014** को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 26 वर्ष का नहीं हुआ हो,
परन्तु यह किः–

(1) ''यदि कोई अभ्यर्थी किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई थी, अपनी आयु की दृष्टि से परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार रहा होता/होती, तो वह अपनी आयु की दृष्टि से ठीक बाद वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार समझा जाएगा/जाएगी।''

स्पष्टीकरण :– आयोग द्वारा वर्ष 2008 की परीक्षा हेतु आयु की गणना दिनांक 01.01.2009 को की गई थी तत्पश्चात् इन पदों की परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को आयु सीमा में थे उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में –

(क) जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित हैं उन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/ राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

(ख) जिन पदों में अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग) की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हीं विषयों की सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट देय है परन्तु जिन विषयों में अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग) की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित नहीं है उन्हें आयु सीमा में इस छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट देय होगी और जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये पद आरक्षित नहीं है परन्तु इन वर्गों के सामान्य पद आरक्षित हैं तो उन विषयों हेतु उन वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को केवल 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(घ) जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद एवं महिला के पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ।

(4) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, उपरिवर्णित आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।

(5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों को आयु सीमा में ही समझा जायेगा, यदि वे प्रारम्भिक रूप से नियुक्त किये जाने के समय आयु सीमा में थे चाहे उन्होने आयोग के समक्ष अन्तिम रूप से उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो, और उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेगें जैसे वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इसी प्रकार पात्र थे ।

(6) कैडेट प्रशिक्षकों, पूर्व सैनिकों और पूर्व केन्द्रीय पुलिस संगठन (एक्स सी.पी.ओ.) कार्मिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।

(7) भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयुसीमा 01.01.2014 को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

(8) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

(9) पंचायत समितियों और जिला परिषदों एवं राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

(10) विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।
(स्पष्टीकरण– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।)

<u>नोट</u> :– उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 7 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 2 से 7 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

<u>उदाहरणार्थ</u> :– यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के संस्थायी कर्मचारी के साथ अनुसूचित जाति का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के संस्थायी कर्मचारी होने के कारण 40 वर्ष तक पात्र माना जायेगा । अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण 5 वर्ष का अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा ।

13. <u>वेतनमान</u> : रनिंग पे बेण्ड–1 (5200–20200) ग्रेड–पे संख्या–7 (रुपये 2000/–)

14. <u>कार्य</u> : बंदियों के रख रखाव एवं सजा भुगताने से संबंधित समस्त कार्य एवं कारागृहों की सुरक्षा व्यवस्था ।

15. <u>परीक्षा योजना (सहायक कारापाल पद हेतु)</u> :– नियमानुसार उक्त परीक्षा तीन चरणों में आयोजित कराई जाएगी :–

<u>प्रथम चरण</u> – आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी योजना का नीचे उल्लेख किया जा रहा है। यह परीक्षा Objective Type की होगी।

<u>द्वितीय चरण</u> – इसके तहत लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी ।

<u>तृतीय चरण</u> – शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे पात्र अभ्यर्थियों को आयोग के समक्ष व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।

The competitive examination shall include the following papers and each paper shall carry the 200 marks: -

Sl.No.	Subjects	Duration	Type of Paper	Maximum Marks
Paper I	General Hindi	3 hours	<u>Objective Type</u> (150 Questions)	200
Paper II	General Knowledge & General Science (To be answered in English or Hindi)	3 hours	<u>Objective Type</u> (150 Questions)	200

<u>IMPORTANT</u>

Candidates, who obtain 36% marks in each paper and 40% marks in the aggregate in the competitive examination shall be considered to have obtained qualifying marks at the examination.

Candidates who are declared successful in the written examination shall be required to appear before a physical Screening Committee consisting of the Appointing Authority or his nominee not below the rank of Superintendent Grade I as Chairman, one Superintendent Grade II and one Inspector of Police or Company Commander of the Rajasthan Armed Constabulary nominated by the Director General of Police in consultation with the Appointing Authority as Members for physical efficiency test. The physical efficiency test shall carry 100 marks and the candidates who secure 50% marks therein shall be deemed to have qualified the physical efficiency test. The Physical Screening Committee shall forward the list of candidates who have qualified the physical efficiency test, to the Commission through the Appointing Authority.

Candidates who are declared successful in the written test and in the physical efficiency test shall be eligible for aptitude test and interview which shall carry 50 marks. Provided that the number of candidates called for aptitude test and interview shall be restricted to three times the number of vacancies (Categorywise) on the basis of the aggregate marks obtained by the candidates in the written examination.

The Commission shall summon the candidates for an interview. The Commission shall award marks to each candidates interviewed by them, having regard to their character, personality, address, tact, aptitude for the post, judgement, leadership, physique and knowledge of Rajasthani Culture. The marks so awarded, shall be added to the marks obtained in the written examination by each such candidate. The marks shall be awarded for higher qualification/technical qualification/national games/international games participation.

<u>RECOMMENDATION:</u>

The Commission/Board shall prepare list of the candidates, whom they consider suitable for appointment to the post concerned, arranged in order of merit, and forward the same to the Appointment Authority. The Commission/Board shall not recommend the candidates who have secured less than 36% marks in interview, if prescribed under these rules, and 45% marks in aggregate:

Provided that the Commission/Board may recommend the candidates belonging to the Backward Classes, Special Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes who have failed to obtain the minimum marks in viva-voce, if prescribed under these rules, and in the aggregate as prescribed above but are found to be suitable by the Commission/Board for appointment to the Service with due regard to maintenance of efficiency in administration, if such candidates secure 30% marks in the interview, if prescribed under these rules, and 40% marks in the aggregate.

Provided further that the Commission/Board may, to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve list. The Commission/Board may, on requisition, recommend names of such candidates in order of merit to the Appointing Authority within six months from the date on which the original list is forwarded by the Commission/Board to the Appointing Authority.

<u>PHYSICAL EFFICIENCY TEST:</u>

The following standards have been laid down by the Director & Inspector General of Jails, Rajasthan for the purpose:-

(For Male Candidates)

S.No.	Item	Time	Total Marks
1.	100 Meter Race	14.5 Seconds 15.5 Seconds 16.5 Seconds Below 16.5 Seconds	20 17 10 Zero
	OR		
	Walk and run for 3 miles or 4828.03 Meters	30 Minutes Above and upto 35 Minutes Above 35 Minutes and upto 40 Minutes Beyond 40 Minutes	20 17 10 Zero

2.	Long Jump	15 Feet and above for every foot or fraction thereof below 15 feet one marks will be deducted and below 13 Feet	20 Zero
3.	Chining up	(a) This is heaving on the beam over hand and Candidate should complete 7 heaves at one time and this will carry 6 heaves 5 heaves Below 5 heaves OR (b)Carrying weight (equal to ones weight) 400 Yards or above Between 300 Yards to 400 Yards Below 300 Yards	20 17 10 Zero 20 17 Zero
4.	Dands or Baithaks 50 Dands PT type OR 50 Baithaks	2.5 Minutes 55 Seconds	20
		Between 45 to 50 Dands or Baithaks	17
		Between 40 to 45 Dands or Baithaks	10
		Below 40 Dands or Baithaks	Zero
5.	Ball throw (Cricket) (Three chances only)	200 Feet Between 180 to 200 Feet Between 160 to 180 feet Below 160 feet	20 15 10 Zero

(For Women Candidates)

S.No.	Item	Time	Total Marks
1.	100 Meter Race	17 Seconds 18 Seconds 19 Seconds Beyond 19 Seconds	20 17 10 Zero
2.	High Jumps	3'6" (106.68 cm) 3' 2'6" Below 2'6"	20 17 10 Zero
3.	Long Jumps	10' (3.5 Meters) 9' 8' Below 8'	20 17 10 Zero
4.	Putting in Shot	16' (4.88 Meters) 15' 14' Below 14'	20 17 10 Zero
5.	200 Meters Run	36 Seconds 38 Seconds 40 Seconds More than 40 Seconds	20 17 10 Zero

Note :- All the above tests will be conducted in one day.

16. आवेदन प्रक्रिया :–

(क) आवेदन आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsconline.rajasthan.gov.in** के माध्यम से व केवल निर्धारित **Online Application Form** में लिये जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध हैं। आवेदन **राज्य के निर्धारित** ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से या **स्वयं** भरा जा सकता है।

(ख) परीक्षा शुल्क **ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र** के माध्यम से जमा कराने हेतु **रुपये 10/–** राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। वहीं से आवेदन–पत्र भरने पर **रुपये 20/– का अतिरिक्त** सेवा शुल्क देय होगा। जिसकी रसीद पृथक से कटवानी होगी।

(ग) परीक्षा शुल्क **नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड** के माध्यम से जमा कराने हेतु आवेदक को **http://www.rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध **Netbanking विकल्प** का चयन कर आवेदन फार्म भरने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध **SBI** नेट बैंकिंग सुविधा से परीक्षा शुल्क भर कर आवेदन प्रपत्र को ऑनलाईन submit करना होगा। आयोग पोर्टल से वर्तमान में यह सुविधा केवल **SBI** खाता धारकों को ही है।

(घ) परीक्षा शुल्क का अन्य बैंकों के **नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से जमा कराने हेतु ई–मित्र पोर्टल **http:/www.emitra.gov.in** पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन नम्बर को उसी प्रकार से आयोग के ऑनलाइन फार्म में भरें।

(ङ) ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आयोग की वेबसाईट पर अभ्यर्थी ऑनलाईन एप्लीकेशन पर क्लिक करें और उसके बाद चरणबद्ध रूप में निर्धारित आईकन को क्लिक करते हुए और भरते हुए आवेदन पत्र जमा कराए। अभ्यर्थीगण की सुविधा के लिए आनलाइन आवेदन भरने संबंधी निर्देश के साथ आवेदन पत्र का प्रपत्र वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं। आयोग द्वारा हाथ से भरे गए फॉर्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(च) अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। यदि किन्हीं दो या अधिक पदों की एक ही परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उसमें विज्ञप्ति के निर्देशानुसार रेफरेंस हेतु दूसरे आवेदन पत्र की एप्लीकेशन आई.डी. साथ में

अवश्य भरें। अनावश्यक रूप से एक ही पद के लिए दोहरे आवेदन न भरें, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(छ) यदि किसी अभ्यर्थी ने आयोग की किसी भी परीक्षा में पहले आवेदन कर रखा है, तो आवेदक को फिर से पूरा नया फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर अपने पूर्व आवेदन को रिवेलिडेट कर सकता है। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

(अ) यदि अभ्यर्थी अपने मोबाईल पर इन्टरनेट का उपयोग करते हुए पूर्व एप्लीकेशन आई.डी. को नई परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराकर **http://www.rpsconline.rajasthan.gov.in** पोर्टल को मोबाइल पर इन्टरनेट के माध्यम से खोलकर रजिस्टर्ड आवेदक के विकल्प का चयन करते हुए पूर्व आवेदन को रिवेलिडेट करते हुए नया एप्लीकेशन आई.डी. प्राप्त कर सकता है।

(ब) यदि परीक्षा शुल्क **नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से जमा करा रहा है तो पूर्व परीक्षा की एप्लीकेशन आई.डी. आवेदन के प्रारम्भ में भर दें। इससे उसका पूर्व का समस्त डाटा वहां अपने आप प्रदर्शित हो जाएगा। अभ्यर्थी केवल उसमें केवल वांछित स्थान पर संशोधन कर ले।

नोट :– **1. अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।**

2. यह ध्यान दें कि पूर्व आवेदन के उपरांत भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा का नया एप्लीकेशन आई.डी. उपलब्ध होगा, केवल नवीन परीक्षा शुल्क जमा होना ही नवीन परीक्षा के आवेदन का रिवेलिडेट होना तय नहीं करता, जब तक कि उसे नवीन आवेदन का आई.डी. न प्राप्त हो जाए।

17. परीक्षा शुल्कः–

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रुपये 350/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– **रुपये 250/–**

(ग) समस्त विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु– **रुपये 150/–**

नोट :– **1.** टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील (राजस्थान) से सहरिया जनजाति हेतु भी परीक्षा शुल्क रूपये 150/– होगा।

2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

18. **प्रवेश–पत्र**ः – आयोग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदनों में वेब–साइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब–साइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब–साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेब–साइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन–पत्र क्रमांक** एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के **ई–मेल आई.डी. (e-mail ID)** एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।

19. **आवेदन तिथि – आवेदन 5 मई 2013 से दिनांकः 30.05.2013 रात्रि 12–00 बजे तक के मध्य भरे जा सकेंगे (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।)** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

20. **परीक्षा का माह एवं स्थान–** सहायक कारापाल प्रतियोगी परीक्षा सम्भवतः **माह जुलाई, 2013** में संभागीय मुख्यालयों पर अथवा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर जिला मुख्यालयों पर आयोजित कराई जाएगी। आवेदक जिस जिले से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है उस जिले का कोड नम्बर चुन कर निर्धारित कॉलम में पूर्ति करे। यदि आवेदक द्वारा जिला केन्द्र कोड नम्बर की पूर्ति नहीं की जाती है अथवा गलत कोड नम्बर की पूर्ति की जाती है तो आयोग उसे कोई भी जिला परीक्षा केन्द्र आंवटित कर सकता है। आयोग यदि चाहे तो जिला परीक्षा केन्द्रों तथा परीक्षा आयोजन के दिनांक व माह में परिवर्तन कर सकता है। **परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है।**

अन्य बिंदु व सूचना :– परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग द्वारा दिनांक 1.1.13 को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** का अध्ययन कर लें, जो आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212, 5151200 एवं 5151240** पर सम्पर्क किया जा सकता है। **समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।**

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव